न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 14 / 2022

प्रार्थी : –

श्री मोहनलाल पुत्र श्री लालाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री टेकाराम पुत्र श्री सुजाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री मानाराम पुत्र श्री हीराजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री वगताराम पुत्र श्री केसाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 20613 दिनांक 05.05.2011 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 20613 दिनांक 13.06.2012 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज. नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। यह है कि ग्राम नांदिया में प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व पट्टे की अचल सम्प[illegible] आई है, जिसका पट्टा संख्या 13 दिनांक 15.11.1964 को ग्राम [illegible] वल्द श्री सीताजी के नाम से बना हुआ है। प्रार्थी के पिता श्री लालाराम तथा उनके भाई श्री मोतीराम [illegible] पट्टा संख्या 13 की जायदाद को दिनांक 03.04.1969 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख [illegible] किया था। यह है कि प्रार्थी के रहवासी मकान के पूर्व दिशा में सार्वजनिक गली स्थित है, जिसका उल्लेख पट्टा संख्या 13 में वर्णित चतुर्दशी में दिया गया है। उक्त गली में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल भी लगा रखे है और प्रार्थी के अडौस–पडौस के मकानात

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के रोशनदान भी इसी गली में खुले हुए है। गली के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या दो से चार तथा हीरागरों के मकानात स्थित है। उक्त गली में प्रार्थी तथा अन्य पडौसियों का आवागमन कदीम से चला आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो से चार ने अप्रार्थी संख्या एक से मेल मिलाप कर सार्वजनिक गली का पट्टा जारी करवाया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या दो से चार ने सार्वजनिक गली का पट्टा बनवाने के पश्चात अगस्त 2014 में गली में प्रवेश की जगह पर लोहे का गेट लगे सीमेन्ट के दो पिलर रखकर उक्त गली में अवैध रूप से दरवाजा लगाकर आवागमन में अवरोध पैदा कर दिया है, जबकि प्रार्थी के मकान पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही विवादित सार्वजनिक गली है। यह है कि विवादित पट्टा स्थल पर अप्रार्थी संख्या दो से चार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा उक्त स्थल प्रारम्भ से गली के रूप में उपयोग में आ रहा है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से चार को सदोष लाभ देने की नियत से बिना कोई विधि प्रक्रिया अपनाए प्रार्थी की पीठ पीछे उक्त पट्टा जारी किया गया है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक में जारी पट्टा संख्या 20613 दिनांक 05.05.2011 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो से चार के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो से चार को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो से चार द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि कभी भी गली या सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग नहीं आई है, अपितु यह अप्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व व पट्टेशुदा सम्पत्ति है, जिस पर कदीम से अप्रार्थीगण का कब्जा है एवं उनका गेट लगा हुआ है। अप्रार्थीगण के उक्त सम्पत्ति के लगते हीरागरों के मकानात प्रार्थी के नक्शे में बताए है, जिनके सभी के दरवाजे पूर्व दिशा में खुलते है एवं उक्त सम्पत्ति के लगते नक्शे में अन्य मकानातों के दरवाजे पश्चिम दिशा में खुलते है। प्रार्थी ने पट्टा संख्या 13 की जायदाद बताई है उनके दरवाजे पश्चिम व उत्तर दिशा में खुलते है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो से चार को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन किया गया है एवं नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो से चार कमजोर वर्ग के अन्य पिछडा वर्ग के मजदूर पेशा गरीब व्यक्ति है, जो पात्रता रखने पर उन्हें नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टाशुदा सम्पत्ति कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं आई है एवं न ही इस सम्बन्ध में आम जन की कभी कोई शिकायत रही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से काफी लम्बे समय से रंजिश रखता है एवं उसी रंजिश की आड में अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के बदईरादे से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त पट्टे को अगर निरस्त किया जाता है तो अप्रा[illegible]ा एवं वे अपनी पट्टेशुदा सम्पत्ति के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाए[illegible]ान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खा[illegible] संख्या दो से चार को विशेष हर्जाना 20,000/– रूपए प्रार्थी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभाँति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो से चार को उक्त विवादित पट्टा संख्या 20613 दिनांक 05.05.2011

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा श्री अनाराम पुत्र श्री सीताजी हीरागर के हक में राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 15.11.1964 में अंकित चतुर्दशी में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पट्टे की पूर्व दिशा में गली स्थित है। इसके अलावा ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा श्री कालूराम सरगडा के हक में राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 24.01.1963 में अंकित चतुर्दशी में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पट्टे की पश्चिम दिशा में गली है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक में जिस भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया गया है वह सार्वजनिक गली की भूमि है, जिसका ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा विधि विरूद्ध आवंटन किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पट्टा संख्या 13 दिनांक 15.11.1964 की भूमि के क्रेता श्री लालाराम की पत्नि श्री धनकी द्वारा पूर्व दिशा में स्थित गली में दरवाजा खोलने की ग्राम पंचायत से मांग करने पर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा जरिए आदेश क्रमांक 205/2002 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, परन्तु अप्रार्थीगण के पास पहले से ही स्वयं का मकान था, जिसका उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 20613 दिनांक 05.05.2011 में अंकित चतुर्दशी के उत्तर दिशा में स्वयं का कब्जेशुदा मकान होना दर्शाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या दो से चार के अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थीगण का गली के लगते स्वयं का मकान है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अ[illegible]स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचा[illegible] दो से चार के हक में जारी पट्टा संख्या 20613 दिनांक 05.05.2011 क्षेत्रफ[illegible]000 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही